टी०ए० मिस केस सं० 84/2018-19

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
16/10/2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **श्रीमति सुधामति तियु, पिता–श्री हीरालाल तियु,** ग्राम–**सिन्द्री,** थाना–**मुफ्फसिल,** जिला–पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ने मौजा–तुईबीर, थाना नं०–**126,** खाता नं०–109, प्लॉट नं०–616, कुल **रकवा– 0.05 एकड़** भूमि क्रेता **दुलबु कुदादा, पिता–मंगु कुदादा,** ग्राम–**बारकुन्डिया,** थाना–**मुफ्फसिल** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने हेतु अनुमति की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से आम सूचना निर्गत किया गया। नामोला अप्राप्त है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। अंचल अधिकारी सदर चाईबासा के पत्रांक 1023 दिनांक 13.10.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक द्वारा जॉच के समय मांगी गई वांक्षित कागजात उपलब्ध नहीं करायी गई जिसके कारण जॉच किया जाना संभव नहीं हो सका। उन्होंने आवेदन को अस्वीकृत करने हेतू अनुशंसा किया है। अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक के आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है। लेखापित (हस्ताक्षर) 16/10 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। (हस्ताक्षर) 16/10/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

//D:/Niraj All Work:// 1 TA MISS ORDER

Scanned with CamScanner